

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 750 वीं बैठक दिनांक 14/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No. 9986/23 Shri UDAY SINGH KILEDAR, Lessee, R/o- 20 C Vaibhav Nagar Indore District- Indore. Prior Environment Clearance for Stone Quarry, M-Sand and Murrum in an area of 2.00 ha. (Stone - 15,000 cum per year, M-Sand – 12002 cum per year and Murrum – 5677 cum per year) (Khasra No. 2450, 2451) Village- Kampel, Tehsil- Khudel, District- Indore (M.P.) EIA

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री उदय सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri UDAY SINGH KILEDAR, Lessee, R/o- 20 C Vaibhav Nagar Indore District- Indore	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2450, 2451 (निजी भूमि)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Kampel, Tehsil- Khudel, District- Indore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1054 दिनांक 19/5/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
टॉर	सेक की 658वीं बैठक दिनांक 12/7/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	1088 दिनांक 10/8/23 के द्वारा Stone - 15,000 cum per year, M-Sand – 12002 cum per year and Murrum – 5677 cum per year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड)
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 15,000 cum per year, M-Sand – 12002 cum per year and Murrum – 5677 cum per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 15,000 cum per year, M-Sand – 12002 cum per year and Murrum – 5677 cum per year.
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 19/5/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.818 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 19/5/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 19/5/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कम्पेल जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 20 दिनांक 31/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेजर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र के अन्दर
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा- हॉल रोड लगभग 155 मीटर की दुरी पर है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1070 दिनांक 23/05/23 अनुसार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ ली जावेगी ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 17/01/2024 को खदान परिसर खसरा न. 2450, 2451 ग्राम- कम्पेल तहसील- खुडैल, जिला- इंदौर (म.प्र.).संपन्न आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जैसे पर्यावरण का ध्यान रखा जाये, पेड़ पौधे लगाए जाये, धूल ना उड़े, स्थाई

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

	नागरिक को रोजगार, रास्ते पर पानी का छिड़काव इत्यादि जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – Stone - 15,000 cum per year, M-Sand – 12002 cum per year and Murrum – 5677 cum per year
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.56 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	For environment Protection		
1	A. Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline. B. Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-	80,000	10,000 30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 580m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern..	90000	10000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 240 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@	192000	10000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	Rs800/ meter		
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	20,000
4A	For crusher Pollution Control Equipmenr	3,00000	50,000
Plantation			
5	A. Within Lease Area in Barrier Zone (610m) @ 150rs./tree (Total 610nos) covering the whole periphery of mine lease area	91500	
	Outside the Lease Area (along approach road 240 m) (including the Cost of tree guard for the plant)@500rs./tree (100nos)	50000	10000
	At nearby School, gram Panchayat, Aaganwadi or available area in nearby villages)@150rs./tree (90nos)	13500	
	After consulting the villagers and Panchayat for distribution to the nearby villagers1600nos @Rs 50/tree	80000	
6	Wire fence (800m long) (@Rs500/m)	4,00,000	10,000
7	PUC certification of vehicles (4 dumpers @ Rs 500 per dumper)		2000
8	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds along the bund of the garland drain & settling tank	5000	
9	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers for carbon sequestration 400 nos of bulb @Rs 120/bulb	48000	
10	Curtain wall: Total 200m long (200m) (@Rs 1000/Meter)	2,00,000	10000
11	Wind breaking wall : Total 200m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	1,00,000	10000
12	Maintenance of M-sand Crusher Plant	-	50000
13	Contribution in Cluster management		25000
14	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	20000	
15	Drinking Water Facility and rest shelter (15x15 ft.) with solar light	50000	10000
16	Two numbers toilet (1000X 2)	20000	2000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

17	Occupational health checkup for workers and villagers (@twice/year)	Nil	40000
18	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves) for 15 workers @Rs 2000 per set and safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 2 workers only - (2 x Rs 2000=Rs 4,000 for safety harness)	34000	10000
Emergency Rescue Plan			
19	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	42000	10000
20	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	4000	2000
Solid Waste Management			
21	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	5000
	b) Transport of Dry Waste	-	
Total		17,48,000	3,56,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम कम्प्ले स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 06 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	रुपए 60,000/-
आयुष्मान आरोग्य मंदिर कम्प्ले में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 06 माह के भीतर जमा की जावेगी।	रुपए 60,000/-
	रुपए 1,20,000/-

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवलों, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	610 नग

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	100 नग
	पानी की टंकी के चारो तरफ वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50 नग
	ग्राम कम्प्ले में स्थित स्कूल परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	30 नग
	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतों के किसानों को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1600 नग

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No. P-2/553/24 Shri Mobin KHAN, OWNER Ward No. - 33/46, In Fron of Sufi Mosque, Ghoghar, Tehsil -Huzur, District - Rewa, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone 12500 cum per annum & M-Sand 4358 cum per annum) (Khasra No. 5/1) VILLAGE CHAURA, TEHSIL SEMARIA, DISTRICT REWA, (M.P.) B-2.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मोबिन खान पिता श्री सफिउल्ला खान, पता वार्ड नं. 33/46, सूफी मस्जिद के सामने, घोघरा, तहसील हुजूर जिला रीवा (मध्यप्रदेश) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार आशीश त्रिपाठी, मेसर्स ए. जी. एस एनवायरमेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौरा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 27/01/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर की स्थिति- लीज क्षेत्र के अन्दर
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा-पक्की सड़क, 500 मीटर
	पूर्व दिशा-कच्ची सड़क - 260 मीटर पूर्व दिशा- मानव बसाहट - 120 मीटर पर
	पश्चिम दिशा- नाला 410 मीटर
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	08/02/2024
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 54 दिनांक 11/01/2024 के अनुसार उपरोक्त खदान को जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन गिट्टी - 12500 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेन्ड 4358 घनमीटर/वर्ष कुल 16858 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.70 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.27 लाख प्रति वर्ष ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rupees)	Recurring Cost in Rupees
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Overhead Water Sprinkling System for dust suppression @ Rs. 0.80 lakhs / system (capital cost) and Rs. 20,000 / system annual Maintenance cost.	-	-
1(b)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	20,000
1(c)	Cost of water of 5000 ltr. @ 0.15 paisa/liter of 300 days	-	2,25,000
2.	Garland Drain is proposed (905x2x1.5) 1.Settling tank is 10m x 02m x 02 2.Settling tank is 10m x 02m x 02	50,000	5,000
3	Pucca Approach Road construction with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. @500/m (Length - 260m x width 5m)	6,50,000	65,000
4	Plantation within lease @ Rs. 150/plant x no of plants 150 X1300= 1,95,000/-	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant x no. of plants 500 X 100 = 50,000	2,95,000
	Plant Distributions @ Rs. 50/plant x no of plants, 50 X 1000 = 50,000/-	Plantation outside (Ex. School, Grampanchayat, etc.)	
		With boundary wall @ 150/plant Without boundary wall @ 500/plant	
5	Wire Fencing (Length 905 m x 500/m)	4,52,500	45,250
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10-20 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance. Number of labours only 20 nos	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) No. of labour 20 x 2 x 500 = Rs 20,000	Nil	20,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance. fire fighting equipments no. of unit 01 x 25000 = Rs. 25000 & First Aid Box No. of unit 2 x 2000 =Rs. 4000 Total Rs 29000	29,000	2,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

11	PPEs for Stone mining operations @ Rs. 1500/worker PPEs Kits - Hard hats, Safety Glasses, Mask, ear plugs, boots & gloves No. of Labours 20 x 1500/worker =Rs 30,000	Nil	30,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet	30,000	3,000
13	One dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance. 1x 5000 =Rs. 5000	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck No. of dumper/day - 7x2x1000 = Rs. 14,000	Nil	14,000
15	Grazing Land development(Native palatable Grasses for development of grazing land: Crysopogon, fulvus, Themeda triandra, Kandi etc.) Rs. @ 50,000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,0000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
16	Miscellaneous Expenses such as for solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera, (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/boar) etc. Solar light 1 nos. = 1x 8000 = 8000 rs. , Web Camera 1 nos. x 3500 rs. & Display Board 1 nos x 2000 = 2000rs. Total Cost Rs. 13,500	13,500	1,350
17	VT Trainings for labors (minimum @ Rs. 500 /labor) No. of Labour 20 x 500/labour = Rs. 10,000	Nil	10,000
18	Wind Breaking Wall (Length 50m, @ Rs. 500/m)	25,000	2,500
19	For Reduction Carbon Containment through tree adoption , awareness , LED bulbs, Solar Energy etc.	30000	3000
Total		16,70,000/-	5,27,000/-

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 75,000 रुपये तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्रं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
1	ग्राम चौरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 75,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चौरा के खाते में भू-प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा की जावेगी ।	75,000
	कुल	75,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1000 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। गड्डे का आकार 70×70×70 से.मी.	1300
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री-गार्ड के साथ।	100
3	चौरा ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्षा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
कुल			2400
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No. P-2/559/24 B.S. MINES AND MINERALS, N-370 Malava County Bypass Road Indore District- Indore M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.5 ha. (45000 m3/Year) (Khasra No. 6/3//1), Bhaurasa, Tehsil- Sonkachha, District- Dewas (M.P.) TOR.**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

4. **Case No. P-2/555/24 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Sand-2 Mine in an area of 5.00 ha. (700cum per annum) (Khasra No. 89) Village- Sindrai Guraiyathar, Tehsil - Parasia, District- Chhindwara, (M.P.) B-2**

यह प्रकरण सेक की 749-A बैठक दिनांक 09/05/2024 में अनुशंसित किया गया है।

5. **Case No. P-2/560/24 Shri Bahadur Singh Gurjar, Partner, MAA BAGLAMUKHI STONE CRUSHER LLP, R/o-Bus stand Agar Sarangpur Road Community health centare Mo. Badodiya Shajapur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (6500 m3/Year) (Khasra No. 346 Min-6), Vill. Sarsi, Tshil – Badodiya, Distt. Shajapur (M.P.). B-2**

प्रस्तावित **Stone** खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है। प्रकरण आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Bahadur Singh Gurjar, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Bahadur Singh Gurjar, Partner, MAA BAGLAMUKHI STONE CRUSHER LLP, R/o-Bus stand Agar Sarangpur Road Community health centare Mo. Badodiya Shajapur, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	346 Min-6 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 hectare.
स्थल	Vill. Sarsi, Tshil – Badodiya, Distt. Shajapur
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1123 दिनांक 03/10/2023 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया शाजापुर के पत्र क्रमांक 470 दिनांक 26/9/18 के द्वारा पत्थर-3000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। (श्री देवेन्द्र सिंह)
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 6500 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone 6500 m3/Year

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 29 दिनांक 03/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 29 दिनांक 03/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 29 दिनांक 03/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सारसी जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/4/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- खदान पट्टे के पास से हॉल रोड गुजर रही है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण शाजापुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-38 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 15 प्रतिशत पायी गई।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 2 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचैस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 170 पेड़ लगाये गये

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – Stone - 6500 m³/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.57 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.61 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
	1 no's of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	60,000	
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 350 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m	55,000	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.		
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 200 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	50,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1200 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~412m periphery of Mine lease boundary (400 nos.)	60,000	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school premise is @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - - 1st year- 650 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 32,000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & grew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
6	Total Wire Fencing = (~830m long) - {15% completed= 145 m} (85% Remaining to be installed = 350m @500 Rs./m)	1,75,000	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	25,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs.)	
		Capital	Recurring
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	2000	
	c) Transport of Dry Waste	2,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	30000	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

17	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers 150 nos of bulb @Rs 100/bulb	15000	
18	Cost for the mine closure plan at the end of mine life	30000	
	Total	6,57,500	1,61,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी	
ग्राम सेमरी स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	50000
टोटल	50000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियों	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, करंज , सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोल आदि ।	415
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल,	135

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

		कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	
3	मंदिर के पास उपलब्ध क्षेत्र	कचनार, सिसु, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल, आदि	50
4	आस-पास के ग्रामीणों को वितरण हेतु	संतरा, आम, कटहल, अमरुद, मुनगा	600
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No. P-2/557/24 Shri DINESH MANGAL, Owner, KAMLA NAGAR, D-155 A, SUBHASH NAGAR, AGRA, UTTAR PRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (35,002 cum per annum) (Khasra No. 183/1, & 183/2) Village Badorakalan, Tehsil Gourihar, District Chhatarpur (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिने । चन्द्र मंगल, पिता श्री रामनिवास मंगल, पता - कमला नगर, डी-155 ए, सुभाश नगर आगरा (उ. प्र.), एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार आ ीश त्रिपीठी/मेसर्स ए. जी. एस एनवायरमेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

4. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री दिने । चन्द्र मंगल, पिता श्री रामनिवास मंगल, पता - कमला नगर, डी-155 ए, सुभाश नगर आगरा (उ. प्र.),
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 183/1, 183/2 क्षेत्रफल - 1.00 हे. (निजी भूमी)

**750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024**

स्थल	ग्राम – बदौराकला, तहसील –गौरीहार, जिला – छतरपुर, म.प्र.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक. 2076/खनिज/2021, छतरपुर, दिनांक 05/07/2021 के द्वारा स्वीकृत।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान अनुसार
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	बी-2 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – बदौराकला (खदान क्षेत्र), दिनांक– 18/01/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन गिट्टी – 35002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन गिट्टी – 35002 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 895 दिनांक 28/04/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 2.25 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 3.25 हे. होता है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 895 दिनांक 28/04/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 895 दिनांक 28/04/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे न, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बदौराकला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 26/01/2020 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज के बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 03 पेड़ स्थित है, जिनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है एवं 3200 वर्गमीटर क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण-पूर्व दिशा- पक्की सडक, 1.11 किलोमीटर पूर्व दिशा - कच्ची सडक लगभग 80 मीटर
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	08/02/2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 122 के सरल क्रमांक-66 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

5. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर – 35,002 घनमीटर/वर्ष ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 14,57,000 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4,83,000 लाख प्रति वर्ष ।

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rupees)	Recurring Cost in Rupees
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Overhead Water Sprinkling System for dust suppression @ Rs. 0.80 lakhs / system (capital cost) and Rs. 20,000 / system annual Maintenance cost.	80,000	20,000
1(b)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	-
1(c)	Cost of water of 5000 ltr. @ 0.15 paisa/liter of 300 days	-	2,25,000
2.	Garland Drain is proposed (558x2x1.5) 1.Settling tank is 10m x 02m x 02	50,000	5,000
3	Pucca Approach Road construction with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. @500/m (Length - 200m x width 5m)	5,00,000	50,000
4	Plantation within lease @ Rs. 150/plant x no of plants 150 X 900 = 1,35,000/-	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant x no. of plants 500 X 100 = 50,000	2,10,000
	Plant Distributions @ Rs. 50/plant x no of plants, 50 X 500 = 25,000/-	Plantation outside (Ex. School, Grampanchayat, etc.)	
		With boundary wall @ 150/plant Without boundary wall @ 500/plant	
5	Wire Fencing (Length 558 m x 500/m)	3,24,000	27,900
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10-20 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance. Number of labours only 15 nos	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) No. of labour 15 x 2 x 500 = Rs 15,000	Nil	15,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance. fire fighting equipments no. of unit 01 x 25000 = Rs. 25000 & First Aid Box No. of unit 2 x 2000 =Rs. 4000 Total Rs 29000	29,000	2,000
11	PPEs for Stone mining operations @ Rs. 1500/worker PPEs Kits - Hard hats, Safety Glasses, Mask, ear plugs, boots & gloves No. of Labours 15 x 1500/worker =Rs 22,500	Nil	22,500
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet	30,000	3,000
13	One dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance. 1x 5000 =Rs. 5000	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck No. of dumper/day - 8x2x1000 = Rs. 16,000	Nil	16,000
15	Grazing Land development(Native palatable Grasses for development of grazing land: Crysopogon, fulvus, Themeda triandra, Kandi etc.) Rs. @ 50,000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,0000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
16	Miscellaneous Expenses such as for solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera, (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/boar) etc. Solar light 1 nos. = 1x 8000 = 8000 rs. , Web Camera 1 nos. x 3500 rs. & Display Board 1 nos x 2000 = 2000rs. Total Cost Rs. 13,500	13,500	1,350
17	VT Trainings for labors (minimum @ Rs. 500 /labor) No. of Labour 20 x 500/labour = Rs. 10,000	Nil	10,000
18	Wind Breaking Wall (Length 50m, @ Rs. 500/m)	25,000	2,500
19	For Reduction Carbon Containment through tree adoption, awareness, LED bulbs, Solar Energy etc. (Provide 50,000/-INR to village farmers for trees adaptation & Provide 50,000/-INR to LED Bulb and reducing carbon footprint)	1,00,000	10,000
	Total	14,56,500/-	4,83,250/-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 100000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्रं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
1	ग्राम बदौराकला के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चौरा के खाते में भू-प्रवे 1 के तीन माह के अंदर जमा की जावेगी ।	1,00,000
	कुल	1,00,000

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No. P2/600/24 Shri Hargovind CHATURVEDI, Proprietor, M. No-15, Gram Badaurakalan, Gram Post Badaurakalan, Ghatahari, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.466 ha. (80]000 cum per annum) (Khasra No. 527, 528, 529, 530, 531, 532, 585) Village Badaura Kalan Tehsil Gaurihar District Chhatarpur (M.P.) TOR**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

8. **Case No. P2/601/24 Shri Piyush Yadav, Partner (Authorized Person), M/s PSY MINES & MINERAL, Flat no. 401 Sanghi Residency, Wright Town, Jabalpur (M.P) 482001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.83 ha. (Dolomite- 1,11,332 TPA) (Khasra No. 165/2, 166/1, 169/1, 169/2,¼) Village- Magarhata , Tehsil-Badwara, Distt-. Katni, (M.P.) TOR**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

9. **Case No. P2/558/24 Shri Krishna Sikarwar, Partner, M/S KRISHNA V.N. MINERALS, Office Address-Daddadham, Katni, District- Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite-Mine in an area of 3.830 ha. (35,006 TPA cum**

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

per annum) (Khasra No. 119/4/2, 118/1/2, 118/1/3, 118/3) Village- Amgawan, Tehsil-Badwara, District- Katni (M.P.) B-2.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कृष्णा वी. एन. मिनरल्स, पार्टनर श्रीमती वंदना तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S Krishna V. N. Minerals Partner – SMT. Vandana Tiwari		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	119/4/2, 118/1/2, 118/1/3, 118/3 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.830 hectare.	
स्थल	Village-Amgawan, Tehsil-Badwara, District-Katni (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 30/06/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 15/10/2023, क्षमता- 35,006 टन/वर्ष, उत्पादित मात्रा-35,006 टन/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी-2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापति, स्थल का नाम- बड़ागाँव दिनांक- 05/05/2024		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट – 35,006 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 35,006 टन/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 151 दिनांक 17/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जो कि 5.97 हेक्टेयर खनिज लाईमस्टोन		

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	कि है। अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 151 दिनांक 17/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 151 दिनांक 17/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़ागाँव जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 19/11/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में पेड़ है। जिसमे से 2 पेड़ काटे जाएंगे जिनके स्थान पर 20 पेड़ नो माईनिंग क्षेत्र पर लगाए गए हैं। बाकी पेड़ के क्षेत्र नो माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- पश्चिम दिशा में लगभग 185 मीटर पर पक्का रोड है। जिससे खदान में 15 मीटर का सेटबैक दिया गया है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	27/02/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	72,045	-
1(b)	Water requirement- 1.601 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (230 m in length × 6m in width)	1,07,550	20,000
3.	PLANTATION SCHEME	8,40,000	20,000
	a) Plantation within lease boundary @ Rs. 200/plant.	3000 plants × 200 Rs=6,00,000/-	
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1200 plants × 50 Rs=60,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 1048 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	90,325	5,000
5	Chain-link fencing (1043 m) @200 rupees/meter.	2,08,600	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500)	30,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (2 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years(804 Plants x 100 Rs / Plant)	80,400	80,400
	TOTAL	16,70,920 /-	2,09,400/-

CER Table

As per local needs during public hearings.

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम अमगवां के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी। सी.ई.आर मद से 1,40,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	2,40,000/-

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता,	1200

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
		योग 4800
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>		

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P2/589/24 Shri VISHVAPAL THAKUR, Lessee, R/o- Sondiya, Tehsil-Multai, District-Betul, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (3990 cum per annum) (Khasra No. 141/1 & 141/3) Village Sondiya, Tehsil Multai, District Betul (M.P.). B-2 (DEIAA-Re-appraisal)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के Re-appraisal का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri VISHVAPAL THAKUR, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri VISHVAPAL THAKUR, Lessee, R/o- Sondiya, Tehsil- Multai, District-Betul, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	141/1 & 141/3 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड एक खसरा परियोजना प्रस्तावक स्वयं का है और दूसरे खसरे के भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	1.00 hectare.
स्थल	Village Sondiya, Tehsil Multai, District Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 4446-49 दिनांक 22/08/16 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 05/10/16 के द्वारा पत्थर-3990 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-3990 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-3990 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 12/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 12/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 12/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में स्टेट हाईवे स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 14/04/12 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 65 मीटर पर पक्का रोड जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य हेतु संसोधित खनन योजना प्रस्तुत की जावेगी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक-88 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है । समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	
कोई अन्य शर्त	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 65 मीटर पर पक्का रोड आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य हेतु संशोधित खनन योजना प्रस्तुत की जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

11. Case No. P2/562/24 Shri RAJENDRA GARG, Owner, HX 93, E 7, EXTENSION, Arera Colony, Huxur, Bhopal, Madhya Pradesh – 462016. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.0 ha. (Stone – 19550 M3 /Year) (Khasra No. 86), Vil. Khamriya Sohanpur, Tehsil – Sultanganj, Distt. Raisen (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajendra Kumar Garg S/o Shri B.S. Garg R/o- H.X.93, E-7, Extension Arera Colony, District-Bhopal(M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	86 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.0 hectare.	
स्थल	Village-Khamariya-Sohanpura, Tehsil-Sultanpur, District-Raisen (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 12/07/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 24/11/2022, क्षमता- 19,950 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा-19,950 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी-2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम- खमरिया-सोहनपुर दिनांक- 24/04/2024		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,950 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 19,950 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2090 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 00 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2090 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2090 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव		

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खमरिया-सोहनपुर जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 17/11/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में 1 पेड़ स्थित है। जोकि नहीं काटा जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोडा गया है
	दक्षिण दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोडा गया है, लिज क्षेत्र सें लगभग 400 मीटर में बरसाती नाला है।
	पूर्व दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोडा गया है, पूर्व में लगभग 100 मीटर में बरसाती नाला है। एवं 400 मीटर में कच्चा रोड निकला है।
	पश्चिम दिशा- 350 मीटर में कच्चा रोड निकला है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	28/02/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budgeted, solar power amount, water fogging machine in mining/cursor area, in other specific provisions.

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	52,875	-
1(b)	Water requirement- 1.175 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (350 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1600 plants × 200 Rs=3,20,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	500 plants × 50 Rs=25,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	300 plants × 300 Rs=90,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 584 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (579 m) @200 rupees/meter.	1,15,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500)	30,000	2,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (740 Plants x 100 Rs / Plant)	74,000	74,000
TOTAL		11,29,857 /-	1,97,000/-

2. CER Table

As per local needs during public hearings.

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम खमरिया – सोहनपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

3. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
योग			2400

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No. 9792/2023 Shri Mangesh Namdev, Owner, R/o E-7/791, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone – 47310 m³/Year) (Khasra No. 309, 310/1/3, 310/1/1, 310/1/2) Village-Samnapurkalan, Tehsil-Gouharganj, District-Raisen (MP) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मंगेश नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी ऑनलाईन मेसर्स ए.एस.जी इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Mangesh Namdev S/o Shri Madanlal Namdev, R/o- E-7/791, Arera Colony, District- Bhopal(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	309, 310/1/3(शसकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 310/1/1, 310/1/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village-Samnapurkalan, Tehsil- Gouharganj, District- Raisen (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 06/09/2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 18/10/2021, क्षमता- 47,310 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा-47,310 घनमीटर/वर्ष,	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी-1 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम– समनापुर कलॉ दिनांक– 10/01/2024		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की 634वीं बैठक दिनांक 07/04/2023 को अनुशांसित, सिया के पत्र क्रमांक 359 दिनांक 16/05/2023 के द्वारा . के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 47,310 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 47,310 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 410 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 9.851 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 410 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र में वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज के पत्र क्रमांक/ मा. चि. /21/3035 औ.गंज. दिनांक 13/08/2021 के अनुसार उपरोक्त आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। संभागीय आयुक्त समिति से अनुमति प्राप्त है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 410 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट 300 मी. पर स्थित हैं एवं शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।		

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत समनापुर कलॉ जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 04/07/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में पेड़ है। जिसमे से 4 पेड़ काटे जाएंगे जिनके स्थान पर 40 पेड़ नो माईनिंग क्षेत्र पर लगाए गए है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— नदी लगभग 300 मीटर पर है।
	दक्षिण दिशा— रहवासी क्षेत्र लगभग 300 मीटर पर है।
	पश्चिम दिशा— नदी लगभग 400 मीटर पर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	28/02/2024
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12/01/2024 को संपन्न 09 आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन— 47,310 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	4,05,000
1(b)	Water requirement- 9.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (750m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
3.	PLANTATION SCHEME	7,00,000	5,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(1600X200= ₹ 3,20,000)		
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(1400X100 = ₹ 1,40,000)		
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(600X 400 = ₹ 2,40,000)		
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 1550 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 2 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep)	1,00,000		5,000
5	Chain-link fencing (761 m) @200 rupees/meter.	1,52,200		5,000
6	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20Trucks × 500 × 2 times in a year)	--		20,000
7	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
8	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	30,000		6,000
9	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000		3,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000		1,000
11	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 30 Labors -30 × 500 × 2)	-		30,000
12	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000		2,000
13	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 30 × 1500)	45,000		3,000
14	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000		5,000
15	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000		2,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

16	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (364 plants x 100Rs/Plant) (500 LED Bulb x 100 Rs/Bulb)	86,400	86,400
	TOTAL *	14,48,600/-	7,33,400/-

CER Table

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम समनापुरकलां के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

Plantation Scheme

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1400
		योग	3600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P2/592/24 Shri VISHNU PATIDAR, Owner, S/o Shri Dev Singh Patidar, Village - Kannod Mirji, District – Sehore (M.P.) Prior Environment Clearance for Basalt Stone in an area of 1.0 ha. (Basalt stone - 5004 m³/Year) (Khasra No. 131/3, 131/5) Village- Ahamadpur Viran, Tehsil- Ashta, District- Sehore (M.P) B-2

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक (Vishnu Patidar) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Vishnu Patidar R/o – Village Kannod Mirji, District – Sehore, State – Madhya Pradesh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय	वन	निजी –सहमति 1.00	Ha.
स्थल	Village – Ahamadpur, Tehsil – Ashta, District – Sehore (M.P.).			
लीज स्वीकृति	Vishnu Patidar by Directorate of Geology and Mining Bhopal A Vide letter no. 9043-44/khanij/U.P./N.Kr.02/2023 Bhopal dated 14.07.2023 for 10 Years.			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	Opencast mechanized method will be adopted. HEMM will be used along with blasting parameter for proposed mining.			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	01.05.2024			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5004 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 5004 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सेहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6425/खनिज/2023 सेहोर दिनांक 29.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सेहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6425/खनिज/2023 सेहोर दिनांक 29.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सेहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6425/खनिज/2023 सेहोर दिनांक 29.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिराबहे जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.02.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
क्रेटर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज के अंदर है	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed -No	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- 50 मीटर पक्का रोड	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	पूर्व दिशा- 30 मीटर पक्का रोड
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नहीं
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	नहीं

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता -5004 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.97 लाख प्रति वर्ष ।
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	60,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 270days	Nil	27,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [443m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	50,000	5,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 232 m , Width 6.0m) 232m @ 200Rs./Meter	46,400	10,000
4	Plantation (1000 plants will be planted & Distribution during the first year)	1,70,000	15,000
5	Wire Fence 443 m x 300	1,32,900	10,000
Carbon Sequestration			
6	LED Bulb Distribution in Village gram Panchayat	50,000	-
7	Trees Adaptation (1000 Plantation above 6 m girth)	1,00,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	10,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1000
10	Occupational health Survey 11 Labour @ 500 Rs. = 5500 Rs./twice per year @500 x 2 x 11	Nil	11,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 11 labor @1200 Rs.	13,200	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	3,000	5,000
13	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	3,000	2,500
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Total EMP Cost		6,47,000	97,000

CER

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.3 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	अहमदपुरवीरान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	30,000
Total		30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 740 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या - 1000				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> • पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70 मी. ग 0.70 मी. ग 0.70 मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। • परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबसू, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। • तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ। • गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की बुंड पर बीज रोपण किया जाइएगा। रख रखाव लीज पीरियड तक किया जाएगा

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्ढे का आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु तार की बाड़ की जावेगी।
ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> गड्ढे का आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No. P2/561/24 Shri VISHAL SHIVHARE, OWNER, Mig-2, Shopping Centre, Tila Jamalpur, District- Bhopal. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.995 ha. (Stone – 30135 M3 /Year) (Khasra No. 79/1/1/2), Vill. Dillod, Tehsil – Berasiya, Distt. Bhopal (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विशाल शिवहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Vishal Shivhare S/o Shri Ashok Shivhare R/o-Mig-2, Shopping Center, Tila Jamalpura, District-Bhopal (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	79/1/1/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.995 hectare.	
स्थल	Village-Dillod, Tehsil-Berasiya, District-Bhopal (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2321 दिनांक 27/07/2021 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 20/12/2021, क्षमता- 30,135 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा-30,135 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी-2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम- दिल्लीद		

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	दिनांक- 05/04/2024
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-30,135 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 30,135 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 87 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 00 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.995 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 87 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 87 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिल्लीद जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 02/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोड़ा गया है
(खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला,	दक्षिण दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोड़ा गया है

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	पूर्व दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोडा गया है, एवं पूर्व दिशा में लगभग 310 मीटर मे पक्का रोड है।
	पश्चिम दिशा- 25 मीटर का सेटबेक कृषी क्षेत्र से छोडा गया है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	28 / 02 / 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -30135 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	84,645	-
1(b)	Water requirement- 1.881 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (510 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	3000 plants × 200 Rs=6,00,000/-	15,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1200 plants × 50 Rs=60,000/-		
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 784 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000	
5	Wire fence (779 m) @200 rupees/meter.	1,55,800	5,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000	
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500)	30,000	2,000	
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000	
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000	
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000	
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-	
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (804 Plants x 100 Rs / Plant)	80,400	80,400	
	TOTAL	16,13,030 /-	2,03,400/-	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

4. CER Table

As per local needs during public hearings.

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम दिल्लीद के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

5. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
योग			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

15. Case No. P2/591/24 Shri Jeevendra Singh, Partner, M/S SHREE BALAJI STONE CRUSHER, R/o- Ground Floor, 82, Main road Beeradei, Near power Project, Village- Dhanuhinar, Post -beeradei Rewa, District- Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.461 ha. (45,668 cum per annum) (Khasra No. 97/1, 97/2, 99, 105, 106, 107/2, 112, 114/1 & 115/1) Village - Dhanuhinar, Tehsil- Hanumana, District- Mauganj (M.P.) B-2.

प्रस्तावित प्रकरण का नम्बर P2/591/2024 है जबकि प्रकरण के ऑनलाईन स्वीकार करते समय त्रुटि P2/592/2024 अंकित हो गया है, जो इसी कार्यवाही विवरण के सरल क्रमांक-13 पर उल्लेखित प्रोजेक्ट का है। अतः इस प्रोजेक्ट को P2/591/2024 मानते हुए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जाये।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट का आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Jeevendra Singh, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Jeevendra Singh, Partner, M/S SHREE BALAJI STONE CRUSHER, R/o- Ground Floor, 82, Main road Beeradei, Near power Project, Village- Dhanuhinar, Post -beeradei Rewa, District- Rewa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	97/1, 97/2, 99, 105, 106, 107/2, 112, 114/1 & 115/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी परियोजना प्रस्तावक एवं उकने पार्टनर स्वयं है)	2.461 hectare.
स्थल	Village - Dhanuhinar, Tehsil- Hanumana, District- Mauganj (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज के पत्र क्रमांक .07 दिनांक 13/09/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-45,668 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-45,668 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3209 दिनांक 03/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3209 दिनांक 03/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और खदान से वन क्षेत्र की 100 मीटर है। आयुक्त रीवा संभाग रीवा की	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया । प्रकरण में बैठक दिनांक 11/07/23 को समिति द्वारा वन सीमा से 100 मीटर दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3209 दिनांक 03/10/23 अनुसार 160 मीटर की दूरी पर दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुनहाई जिला मऊगंज के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 14/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 04 Additional tree to be planted -40
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान पट्टे से 55 मीटर उत्तर में एक कच्ची सड़क । उत्खनिपट्टे क्षेत्र के पश्चिम एक आइसोलेटेड मकान है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त मकान साइट ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जावेगा जिसके सम्बन्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमिस्वामी का नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । उत्खनिपट्टे के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में कच्ची झोपड़ियां स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवक द्वारा बताया गया कि ये खेती का सामान रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है एवं इनमें कोई रहवास नहीं करता एवं कुछ प्रस्तावक कि स्वयं कि भूमि पर है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर की स्थिति लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज के पत्र क्रमांक .3210 दिनांक 23/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 45,668 cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 11.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.00 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
1	1 nos of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	60,000		10,000
	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 650 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	95,000	---	15,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 90 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	45,000	---	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (2990 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~742 m periphery of Mine lease boundary (~700 no's)	1,05,000	---	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 50 no's on evacuation route up to 90 (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 50 no's at nearby village higher secondary school Chitwariya @Rs 150 (as boundary wall is present these place) 2 nd year – 2190 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	45,000 1,09,500	7500	15000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	5,500	---	1,000
6.	Channel fencing on periphery towards forest area (~200 m long) (@Rs 1000/m) Normal Fencing on remaining lease Periphery (~542 m long) (@Rs 500/m)	4,71,000	---	25000
8.	PUC certification of vehicles (5 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	2500
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	50,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 12 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 12	Nil	---	24,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 12 x 2000)	24,000	---	4,000
Emergency Rescue Plan				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		5,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	6,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for the carbon sequestration 300 nos @Rs100/bulb	30000		
	Total	11,03,000	7500	2,00,500
		11,10,500		

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	80,000/-
योग	80,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3440 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आवलों, कटहल, जामुन, आम, जामफल, संतरा, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	50
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	2190
4	ग्राम चितवारिया में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर	500

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

		पुत्रंजीवा, आदि।	
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No. P2/593/24 Shri Satish Bansal, PROP. M/S GAYATRI BRICK INDUSTRIES, ADDRESS-AGRAWAL COLONY, SHIVPURI ROAD, WARD 007, SHEOPUR (M.P.) 476337, Prior Environment Clearance for Gwadi Soil Quarry (for Making Bricks) Khasra No. - 57/1, 57/2, 58/1, 58/3/1/1, 58/3/1/2, 58/3/4/1, 58/3/4/2, (Private Land) Lease Area - 2.00 ha., Capacity - 4,000 M3/Year. Village – Gwadi, Tehsil - Sheopur, District – Sheopur (M.P.).B2 Cat.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गायत्री ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, पार्टनर – श्री सतीश बंसल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स गायत्री ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, पार्टनर – श्री सतीश बंसल अग्रवाल कालोनी, शिवपुरी रोड, जिला श्योपुर (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	57/1, 57/2, 58/1, 58/3/1/1, 58/3/1/2, हेक्ट. 2.00 58/3/4/1, 58/3/4/2 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	ग्राम ग्वाड़ी, तहसील, श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक खनि/क्यू.एल./61/2023/2054, दिनांक 02/02/2024 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी-4000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 4000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है। राजमार्ग 100 मी. की दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिला श्योपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 028 दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में चार पेड़ है। इनमें से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – कच्चा रास्ता 50 मी.
	दक्षिण दिशा – आबादी 371 मी. पर हैं।
	पूर्व दिशा– राजमार्ग 95 मी. है।
	दक्षिण पूर्व दिशा– तालाब 278 मी. पर है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 02/02/2024 अनुसार इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

2. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 4000 मी.³
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19,30,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,79,700/- प्रति वर्ष।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

Sr.No	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road. (Length Approx. 100m & width Approx. 5m)	Nil	10,000
1 (b)	Cost of water of 3000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	1,35,000
	Cost of water of Plantation 3000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	38,700
2	Garland Drain is proposed(605m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 605	3,02,500	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1500 x Rs.200	3,90,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (800 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 100m x 5m) @500/sqm	50,000	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 25 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	25,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 25 worker@ Rs. 1500/worker	37,500	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 2 trucks @1000/truck	Nil	2000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	Nil	Nil

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainence (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	Carbon Sequestration - LED bulb distribtion	50,000	Nil
18	Gravity Settling chamber	50,000	5,000
19	Establishment of the chimney	5,00,000	50,000
	Total	9,30,000	3,79,700

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल गुवाड़ी में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 / -

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	अमलतास, पुत्रनजीवा, कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशांसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशांसा की जाती है।

17. Case No. 10019/23 Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya, Proprietor, M/s Sisodiya Khanij Udhyog, R/o- Satendra bhavan Ramnivas Singh Marg Bhatta Mohalla Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 11.02 ha. (Limestone & Dolomite 15000 TPA To Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA) (Khasra No. 243, 251, 253 & 247) Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni (M.P.). EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 (उत्पादन क्षमता में विस्तार श्रेणी) श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya, Proprietor, M/s Sisodiya Khanij Udhyog, R/o- Satendra bhavan Ramnivas Singh Marg Bhatta Mohalla

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

परियोजना का नाम व पता	Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	243, 251, 253 & 247(निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	11.02 hectare.
स्थल	Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni(M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3/97/12/2000/2 दिनांक 16/10/2000 के द्वारा स्वीकृत।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत पत्रांक 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 द्वारा लीज अवधि को 50 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है	
सिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Case No 62/2008 No:173/EPCO-SEIAA/11 Date:8/6/2011	
MoEF & CC से अभी प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन	18-B-15 /2011 (SEAC) Date:28/08/2023	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
टॉर	सेक की 660वीं बैठक दिनांक 14/07/23 को अनुशासित, सिया के पत्र क्रमांक 1092 दिनांक 10/08/23 के द्वारा Limestone-90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite- 15000 TPA to Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite- 15000 TPA to Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032 दिनांक 30/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 28.46 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032 दिनांक 30/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032 दिनांक 30/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेढ़ी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -15 Tree Felling - 05 Additional tree to be planted - 50
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा— एक कच्ची रोड निकल रही है जिसके संदर्भ में बताया गया कि यह हालेज रोड है जो कि निजी जमीन से खदानों के श्रमिकों के घरों के लिये निकलती है । पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला 23 मीटर जिसके संदर्भ में 27 मी. का सेटबैक दिया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15/02/2023 को ग्राम- भटगवां-सुनहरा, तहसील- मुड़वारा, जिला- कटनी (म.प्र.) संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्पादन क्षमता में विस्तार क्षमता Limestone & Dolomite. 15000 TPA to Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 173 दिनांक 08/06/2011, प्रकरण क्रमांक 62/2008) की शर्तों का अनुपालन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय की सर्टिफाईट रिपोर्ट दिनांक 28/08/2023 का अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी की गई इसी शर्तों की प्रमुख शर्तों के अनुसार 1000 पौधों को प्रति हे. की दर से लगाये जाने थे एवं 05

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

कि.मी. रेडियस में वेस्टलैंड का विकास किया जाना था। जिसका की कम्पलाईन्स नहीं पाया गया। समिति ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के कम्पलाईन्स के पालन के संबंध कर निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ।

1. कल्टीवेटेड लैंड के संबंध में जानकारी
2. ईसी की शर्तों के अनुसार प्लान्टेशन के संबंध में समिति द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
3. सी.एस. आर. के संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्रस्तुत करें।

18. Case No. 9906/2023 Shri Vinay Bahadur Singh, Proprietor, M/s Virendra Singh and Sons, R/o Satendra Bhavan Bhatta Mohalla, Tehsil & District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Bhatgawan-Sunehara Limestone & Dolomite Mine in an area of 17.44 ha. (Limestone & Dolomite - 7045 TPA To Limestone-87600, Dolomite-11607 Tonne per annum) (Khasra No. 213/2, 214/258, 211, 213/1), Village-Bhaganwara, Tehsil-Badavara, District-Katni (MP) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Vinay Bahadur Singh, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri VINAY BAHADUR SISODIYA, Proprietor of M/s Virendra Singh and Sons, R/o-Satendra Bhavan, Ramniwas Singh Marg, Bhatta Mohalla Katni, District- Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	211, 213/1, 213/2, 214 & 258 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) सहमति	17.44 hectare.
स्थल	Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3/96/12/2/2000 दिनांक 16/10/2000 के द्वारा स्वीकृत ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत पत्रांक 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 द्वारा लीज अवधि को 50 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 649वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	क्रमांक 1594 दिनांक 04/10/23 के द्वारा Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार ।
सिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Case No 75/2008 No:197/EPCO-SEIAA/11 Date: 16-06-2011
MoEF & CC से अभी प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन	18-B-18 /2011 (SEAC) Date:28/08/2023
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3051 दिनांक 30/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.46 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3051 दिनांक 30/12/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3051 दिनांक 30/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- आबादी लगभग 10 मी. जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह सभी घर आस-पास की खदानों के श्रमिकों के लिये है। पश्चिम दिशा- लगभग 54 मी. पर हालेज रोड
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-62 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15/02/2023 को ग्राम- भटगवां-सुनहरा, तहसील- मुड़वारा, जिला- कटनी (म.प्र.) संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्पादन क्षमता में विस्तार क्षमता Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 197 दिनांक 16/06/2011) की शर्तों का अनुपालन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय की सर्टिफाईट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी की गई ईसी शर्तों की प्रमुख शर्तों के अनुसार 1000 पौधों को प्रति हे. की दर से 17,000 पौधे लगाये जाने थे, जबकि 500 से 600 पौधे लगाये गये हैं, जिसका की कम्पलाईन्स नहीं पाया गया। समिति ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के कम्पलाईन्स के पालन के संबंध कर निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

1. ईसी की शर्तों के अनुसार प्लान्टेशन के संबंध क्या कमिटमेंट परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुत किया है उसके अनुपालन के साक्ष्य प्रस्तुत करें एवं इस संबंध में समिति द्वारा प्लान्टेशन के संबंध सुझाये गये बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. सी.एस. आर. के कम्पलाईन्स के पालन संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्रस्तुत करें।

19. Case No. 9796/2023 Shri Pradeep Kumar Jordar, Partner, M/s Phoenix Mining and Minerals, R/o 168, Chopra Colony, Saray Mohalla, Maihar, District-Satna, 485771 (M. P.), Prior Environment Clearance for Bathia Stone Quarry in an area of 4.717 ha. (99750 Cum per annum) (Khasra No. 965/2, 947, 966/2, 967/2) Village-Bathia, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2023 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स फोनिक्स माइनिंग एंड मिनरल्स, (पार्टनर- श्री प्रदीप जोरदार) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

पी एंड एम सॉल्यूशंस से श्री संजय सिंह व श्री राहुल शर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स फोनिक्स माइनिंग एंड मिनरल्स (पार्टनर- श्री प्रदीप जोरदार) पता- 168, चौपड़ा कॉलोनी, थाना- मैहर, जिला - सतना, मध्य प्रदेश, पिन कोड 485771
खसरा नं क्षेत्रफल / (निजी/सरकारी)	खसरा नं. - 965/2, 947, 966/2, 967/2 क्षेत्रफल- 4.717 हेक्टेयर निजी
स्थल	ग्राम: बठिया, तहसील मैहर, जिला मैहर (पुराना -सतना), मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	प्रस्तावित क्षेत्र को राज्य सरकार ने 4.717 हेक्टेयर क्षेत्र पत्र क्रमांक- 10074-76/खनिज/उ.प./ न. 05/2022 को दिनांक 27-07-2022 को 10 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है।
ब्लास्टिंग रॉक ब्रेकर / प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। नया प्रोजेक्ट
डिया ईयदि) का विवरण .सी. (लागू हो	लागू नहीं ।
वन मंडल अधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 31.10.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क /अभयारण/ घोषित जेव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
टॉर	टॉर SEIAA द्वारा पत्र संख्या 361/SEIAA/2023, दिनांक 16.05.2023 को प्रदान किया गया
उत्पादन क्षमता	99750 टन/वर्ष
500 मीटर की परिधि में खदानें अन्य	कार्यालय कलेक्टर जिला (खनिज शाखा)सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 31.10.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदक के अलावा 8 अन्य खदानें संचालित स्वीकृत /

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	है, इस प्रकार कुल रकबा 23.67 हेहोता है ., अतः प्रकरण बी 1 श्रेणी का है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर जिला (खनिज शाखा)सतना के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक-1867 दिनांक 31.10.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / राष्ट्रीय राजमार्ग / शमशान घाट / सार्वजनिक भवन/ रेडियो स्टेशन : संवेदनशील क्षेत्रों जैसे, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकायस्टॉप/बांध / तालाब /नदी/ नाला नही/पक्का रास्ता / ग्रामीण कच्चा/नहर/डैमं है ।
ग्राम सभा ग्राम पंचायत की / अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव 18.02.2022 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज में स्थित पेड़ों का विवरण बैरियर -:जोन मे 2 पेड़ • काटे जाने है तो उनका विवरण -:0.0 • काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या – 0.0 [नाट एप्लीकेबल]
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के 500 मी . की परिधि में प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक ,पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादी नहीं है ।उत्तर दिशा में मीटर 100की दूरी पर अन्य खदानों का संयुक्त परिवहन मार्ग है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर) खनिज शाखा (जिला सतना के पत्र क्रमांक 1862दिनांक 2022/10/31 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 23-2022 में बनी है, जिसमें गाम बठिया शामिल है । उपरोक्त उत्खनिपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण)उत्खनिपट्टा संचालन (हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शामिल किया जावेगा पट्टेदार मेसर्स फोनिक्स माईनिंग एण्ड मिनरल्स, के रकबा 4.717 हेक्टेयर निजी भूमि क्षेत्र पर खनिज पत्थर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु) खनिज उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	हेतु संचालक महोदय के आदेश दिनांक 27.07.2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत प्रदान किया गया है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान B 1 श्रेणी के अंतर्गत आती है अतः जन सुनवाई 21.12.2023 को आयोजित की गई
क्षेत्र में स्थित उत्खनित गड्ढे	गूगल इमेज में क्षेत्र में पूर्व से खुदा हुआ गड्ढा दिखाई दिया जो कि अनुमोदित खनन योजना के सरफेस प्लान में दिखाया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह क्षेत्र पूर्व में दूसरे को स्वीकृत था जिसने उत्खनन किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 99,750 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि ₹ 15.15 लाख एवं रिकरिंग राशि ₹. 5.81 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital (Rs.)	Cos	Recurring Cost (Rs.)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1 (a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	0		200000.00
1 (b)	Water will be supplied from mine sump	0		0
2	Garland Drain is proposed	25000.00		10000.00
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T Point etc. (170mx 5m) @200/sqm	100000.00		20000.00
4	Wire fencing 1100m x Rs.500	550000.00		10000.00
5	Plantation within 7.5 barrier zone @Rs. 200/plant Total plantation 1000 plants x Rs. 200	650000.00		100000.00
	Plantation along approach road @ Rs. 1000/plant with tree guard Total plantation – 1000 plants x Rs. 500			
	Distribution of sapling to local villagers (3500 sapling x Rs.100)			
6	Monitoring (AAQM and Noise - 4 location Water – 2 location twice in a year) @ Rs. 50,000 per season	0		100000.00
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler	10000		2000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	20 labour @ Rs.10000/coolers) & Rs.2000/year for maintenance		
8	Separate Toilets for Male and Female @15000x2 and Rs 3000/year for maintenance.	30000	3000
9	Medical Check-up for 20 workers @ 500 worker (twice in a year)	0	20000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000x2 & Rs 2000/year for Maintenance	50000	2000
11	PPEs for other mining operations for 20 worker @ Rs. 1500/worker	30000	30000
12	Shelter rooms for labors (20*10)=200 Square feet @Rs.200/square ft and gas cylinder with gas chulha @ 9000	40000	20000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance	5000	2000
14	Half yearly PUC certification for 5trucks @1000/truck	0	10000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10000 for mines>5.00 ha.	0	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	0	37000
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) if crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	0	0
18	Vocational trainings for 9-10workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	0	5000
19	Adoption of 5 trees for carbon trading with farmers @ Rs 1000 per tree per year for rest of the mine lease period (Trees will be adopted within 500m to 1 km radius from mine site) for the reduction in Carbon Footprint	0	5000
20	Provision of LED Bulbs in nearby villages Bathia, Barhiya & Kartaha	25000	0
Total		1515000.00	581000.00

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्र. सं.	गतिविधियाँ	पूँजीगत लागत (रुपये में)
1.	चिकित्सा स्वास्थ्य	1,00,000
	रोगी कल्याण समिति में जमाई कराई जाने वाली राशि	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

2.	ग्राम बठिया में ओवरहेड टैंक सहित सौर ऊर्जा चालित हैण्डपम्प की स्थापना	1,00,000
कुल		2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

खदान क्षेत्र, परिवहन सड़क और गाँव में वितरण के लिए पौधों की प्रजातियाँ			
चरण	जगह	पेड़/झाड़ी/जड़ी-बूटियों के नाम	पौधों की संख्या
पहला वर्ष	पट्टा क्षेत्र के भीतर, बैरियर जोन में वृक्षारोपण	नीम, जंगल जलेबी, सिरस काला, करंज, चिरोल, खमेर, सिस्सू और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
पहला वर्ष	परिवहन मार्ग पर वृक्षारोपण	नीम, पीपल, सिरस काला, करंज, चिरोल, खमेर, सिस्सू, और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
दूसरे से चौथा वर्ष	स्थानीय ग्रामीणों को पौधे का वितरण	अमरूद, आम, कटहल, निम्बू, मुनगा और स्थानीय प्रजातियाँ	3500
कुल			5500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. P-2/564/24 Shri Rajiv Chadha, Director, M/s SGMM ORES PRIVATE LIMITED, 707/1 G.S. College Road, Beside Kachnar Castle, Civil Lines, Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 3.450 ha. (30,002 Ton per annum cum per annum) (Khasra No. 198) Village Midasan, Tehsil Sihora, Dist. Jabalpur (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री करनवीर चढढा निदेशक

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

M/s SGMM ORES PRIVATE LIMITED एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मुकेश कावरे उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s. SGMM ORES PRIVATE LIMITED			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 3.450	वन —	निजी —	Ha.- 3.450
स्थल	Khasra No. 198, Village Midasan, Tehsil Sihora Dist. Jabalpur (M.P.)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 13166 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	निरंक			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष—2024, क्षमता—30002 टन प्रतिवर्ष, ,उत्पादित मात्रा—30002 टन प्रतिवर्ष			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	वर्ष— निरंक, क्षमता — ,उत्पादित मात्रा—			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	नहीं
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	नान ब्लास्टिंग			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट एवं बी-2			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम —मिढासिन लेटराइट खदान , दिनांक. 04.05.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	निरंक			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	निरंक बी-2			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराइट 30002 टन /वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लेटराइट 30002 टन /वर्ष है।			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 12.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2. श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 12.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 12.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवनगर जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लेटराइट खदान है, क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - कुछ नहीं है। 500 मी. में
	दक्षिण दिशा- मानव बसाहट है। 60 मी. पर पूर्व दिशा- मानव बसाहट है। 60 मी. पर ; पश्चिम दिशा- कुछ नहीं है। 500 मी. में PP has left non- mining area-0.58 ha in this context.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1620 दिनांक 27.02.2024 द्वारा बताया गया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में उक्त खदान को सम्मिलित कर लिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटराइट 30002 टन /वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

EMP (Capital & Recurring Cost)

S No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		Time frame
		Capital	Recurring	
1	Dust suppression Measures Water sprinklers from Mine site to approach road (200m)	35000.00	5000.00	from Day 1 of start of mine
2	Construction of approach road-100m x 800	80000.00	10000.00	within 3 months
3	Garland drains 150m x 1.0m along with	15000.00	5000.00	within 6 months
4	Settling tank size of of 1.m x 1.5m x 1.0m with soak Pit of 1mdia x 1m depth	5000.00	2000.00	within 6 months
5	Wire fencing = 800 m	50000.00	5000.00	within 3 months
6	Monitoring once a year AAQM 8500 WATER 5500 & NOISE 500	Nil	14500.00	6 monthly
7	Plantation 3500 @50	175000.00	3000.00	within 2 years
	Labor Welfare			
8	Drinking Water Facility and rest shelter	10000.00	1000.00	from Day 1 of start of mine
9	Toilets 1 nos @10000	10000.00	2000.00	within 3 months
10	Occupational health checkup in a year for 10 workers @twice/year @ 500 x 2 x 10	-	10000.00	6 monthly
11	Provision of PPES (Helmet shoes gloves goggles etc 10 x @800 & Safety Belt= 10x 300= 3000/-)	11000.00	1500.00	from Day 1 of start of mine
12	Solid Waste Management			within 15 days
	Bins 1 Nos Rs @ 800 each	800.00	3300.0	
	Pit and Composed	2000.00		
	Transport of Dry Waste	500.00		
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification @ 700/- per Vehicle (700 x 3)	-	2100.00	yearly
14	Signage & Caution Board	1000.00	500.00	from Day 1 of start of mine
15	other training program	-	2000.00	yearly
16	The budget for dewatering and silt management	10000.00	2000.00	after 1 year

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

17	The annual budget for soil management	-	5000.00	-
18	Re-grassing in the mined-out areas	-	5000.00	simultaneously
19	Provision for the reduction of carbon foot print(distribution of LED bulbs)	25000.00	-	Within 2 years
	Total	430300/-	78900/-	

CER Table

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख) प्रतिवर्ष
1	प्राथमिक शाला के अधोसंरचना विकास हेतु	ग्राम मिठासन	60000 /-
	कुल		60000 /-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजाति	मात्रा (संख्या में)
1.	बेरियर जोन	नीम, करंज,, केथ एवं जंगल जलेबी, आदि	1500
2.	सेट बैक क्षेत्र एवं नान माइनिंग क्षेत्र	नीम, करंज, केथ एवं जंगल जलेबी, आदि	500
3.	समुदायिक भवन, स्कूल एवं आगनवाड़ी में वृक्षारोपण	नीम, सीताफल, आम, कदम, आवला आदि।	500
4.	ग्रामीण में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आवला, निबू, कटहल, आदि।	1000
		कुल	3500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No. 9492/22 Ms Kiran, Sumerpada Stone Mine, J-723, Darpan Colony, Thatipur, Gwalior (MP)-474011 Prior Environment Clearance for Sumerpada Stone Mine in an area of 1.040 ha. (57000 Cum per annum) (Khasra No. 169), Village - Sumerpada, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) EIA Case.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती किरन सोलिया पत्नी श्रीमान सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री मती किरन सोलिया पत्नी श्री मान सिंह सोलिया निवासी जे 723 दर्पण कॉलोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	169 (Govt. Land—नॉनफॉरेस्ट लैंड) नोइयत—पहाड़
स्थल	VILLAGE- SUMERPADA, TEHSIL- MURAR AND DISTRICT- GWALIOR (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर जिला भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक क./3-6/खनिज/क्यू एल-28796/2021/10929 ग्वालियर दिनांक 13/05/2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लगू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 57,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 57,000 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	ToR Recommended in 614 th SEAC Meeting dated 23/12/2022. TOR Letter no. 2626/SEIAA/2023, dated 30/01/2023
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल-28796/2022/12029 ग्वालियर दिनांक 22/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 30.375 अन्य खदान जिसका रकबा 34 हेक्टेयर है कुल रकबा 31.415 हेक्टेयर है
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल 28796/2022/12029 दिनांक 22/11/2022 अनुसार 10 कि.मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल 28796/ 2022/ 12029 दिनांक 22/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साइट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जगूपुरा जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2 . दिनांक 27/10/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-10। ● पेड़ काटा नहीं जायेगा ● ब्लॉक ए पेड़ों को बचाने हेतु नॉन माइनिंग एरिया छोड़ा गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा में आबादी 862 मीटर पर पश्चिम दिशा में पक्का रोड 543 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-62 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया कि उत्तर दिशा में 15 मीटर पर मकान है जिसका कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है (कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर पत्र क्रमांक **क्यू एल 3/696 ग्वालियर** दिनांक **16/04/2024** के अनुसार अवैध है जिसका कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक **क्यू एल 3/696 ग्वालियर** दिनांक **16/04/2024** अनुसार kml (based on DGPS coordinates) प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-**57,000** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.73 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.47 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker Automatic Tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000 ltr. @0.15 paisa/liter for 300 days	NIL	90000
2	Garland Drain is proposed (664 x 2 x1.5) 1. Settling tank is 10m x 04m x 1.5 2. Settling tank is 10m x 04m x 1.5	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (190mX5m) @500/sqm	475,000	47,500
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone- 800. 800 x Rs.200= 1,60,000	271,400	27,140
	Plantation in Village @ Rs. 50/plant. Total plantation in Village and Govt. School area- 400 X Rs. 50= 20,000/-		
	Plantation in approach road@ Rs. 500/plant. Total Plantation in approach road- 80 50 X Rs. 500=25,000/-		
	Total cost of the soil @ 100 664 x 100= 66,400		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75000x2 @ Rs. 1,50,000 for two locations/year	Nil	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 16 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	16,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 16+2=18 workers @ Rs. 1500/worker	27,000	2,700
11	Shelter rooms for labors (16*10)=160 Square feet @Rs.800/square ft.	1,28,000	12,800
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 03trucks @1000/truck	NIL	6,000
15	Vocational Training for 16 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	-	8,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Website development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	NIL	37,000
17	Barbed fencing for 684m @ 300/meter	205,200	2,052
18	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed within lease area.	
19	LED bulb distribution & Tree adoption	100,000/-	-
	Total	14,73,000/-	447,832/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सुमेरपाड़ा गांव के किसान वाशियो के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण	20,000/-
सुमेरपाड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षक पालक संघ के खाते में अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि प्रथम वर्ष में जमा करवाया जावेगा ।	50,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1250 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में शासकीय भूमि तथा गैर खनन क्षेत्र खसरा नंबर. 306 (ब्लॉक-ए)	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, करधई ए और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ ।	400
	(ब्लॉक- बी)		400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	50
3	गाँव सुमेरपाड़ा के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि ।	350
4	सुमेर पाड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि ।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P-2/565/24 Shri ANIRUDH KALE, LEESSEE, Ward no 37, 46 New colony in front M.P.E.B Office, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 1175/1(P)) Village - Khaup, Tehsil- Chhatarpur, District- Chhatarpur (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक अनिरुद्ध काले एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	श्री अनिरुद्ध काले पुत्र श्री नारायण काले वार्ड नं. 37, 46 न्यू कालोनी, एमपीईबी के सामने, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1175/1(P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) (नोईयत- पहाड़)	2.00 hectare.
स्थल	Village - Khaup, Tehsil- Chhatarpur, District- Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 8809 दिनांक 12/07/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 226 दिनांक 09/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2. श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

की अनापत्ति	क्रमांक 226 दिनांक 09/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 226 दिनांक 09/02/24 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट एवं 330 मीटर की दूरी पर जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खोंप जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 16/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 5 पेड़ हैं जिनमें महुआ, पलास, बबूल के वृक्ष हैं, वृक्षों को काटा जायेगा एवं उनके स्थान पर इन्हीं प्रजातियों के 10 गुना अर्थात् 50 वृक्ष अतिरिक्त लगाये जायेंगे।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- घर 180 मी., पर हैं, मानव बसाहट 362 मी., पर हैं। दक्षिण दिशा- तालाब, 420 मी. पर है। पूर्व दिशा- रोड - 415 मी. पर है। पश्चिम दिशा- कच्चा रास्ता, 167 मी. पर है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 380 दिनांक 21/02/24 अनुसार उक्त खदान को डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता - 40,000 मी.³
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 18,06,500/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,13,600/- प्रति वर्ष।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

Sr.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 4000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	51,600
2	Garland Drain is proposed(823m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 823	4,11,500	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1850x Rs.200	4,45,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (500 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m) @500/sqm	2,50,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	20,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 20 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 8 trucks @1000/truck	-	8000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 20 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

18	Carbon sequestration – LED bulb distribution	50,000	Nil
	Total	18,06,500	3,13,600

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल खौंप में फर्नीचर (दस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी, अधोसंरचना विकास के लिए	60,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2450 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1850
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, पुत्रनजीवा, चिरोल, नीम, अमलतास, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No. P2/594/24 Shri Nasir Khan, S/o Shri Nazir Khan, Lessee, D/101, DWARKANATH COMPLEX, AGASHI ROAD, NEAR SEA SIDE BUILDING, PARNAKA ARNALA, VIRAR WEST VASAI THANE, (MAHARASHTRA)-401302, Prior Environment Clearance for Samuha Stone Quarry for making Boulder, Gitti & M-sand an Area - 4.00 ha., Khasra No. - 1334] at Village – Samuha, Tehsil- Karera, Distt. - Shivpuri (M.P.) with MAX. PRODUCTION – 60,000 M3/Year. (GITTI - 5,000 M3/Year, M-Sand- 5,000 M3/Year & BOULDER - 50,000 M3/Year.) B2Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नासिर खान पुत्र श्री नजीर खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नासिर खान पुत्र श्री नजीर खान डी/101, द्वारिकानाथ काम्पलेक्स अगासी रोड, नियार सी साइड बिल्डिंग परनाका अरनाला विहार वेस्ट वसई थाने (महाराष्ट्र)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1334 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) (नोईयत– पहाड़)	हेक्ट. 4.00
स्थल	ग्राम –समुहा, तहसील – करैरा, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 16513-14/उत्खनिपट्टा/गुप-3/न.क्र.-21/2023, दिनांक 29/12/2023 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-60,000 (गिट्टी – 5,000, एम सेण्ड – 5,000 एवं बोल्टर – 50,000) घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-60,000 (गिट्टी – 5,000, एम सेण्ड – 5,000 एवं बोल्टर – 50,000) घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 281 दिनांक 12/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

खदानें	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 281 दिनांक 12/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 281 दिनांक 12/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हसनाबाद जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 5/1 दिनांक 25/05/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 2 पेड़ हैं जिनमें बबूल एवं नीम के वृक्ष हैं, और झाड़ियां हैं, जिन्हे काटा जायेगा और 1200 अतिवृक्ष लगाए जायेगे
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- रोड, 162 मी. पर है । पश्चिम दिशा- आबादी, 455 मी. पर है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 380 दिनांक 21/02/24 अनुसार उक्त खदान को डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से पूर्व दिशा में 162 मी. पर पक्का रोड है एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 38 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुये 200 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता - पत्थर-60,000 (गिट्टी - 5,000, एम सेण्ड - 5,000 एवं बोल्टर - 50,000) घनमीटर/वर्ष
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
4. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है ।
6. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
7. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
8. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 22,53,000/- एवं रिक्रिंग राशि रु. 3,81,700/- प्रति वर्ष ।

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 8000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	1,03,200
2	Garland Drain is proposed(1041m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,20,000	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 1041	5,20,500	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 4000 x Rs.200	9,05,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (2200 X Rs. 25)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 200m x 5m) @500/sqm	1,00,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/25 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 25 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	25,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 25 worker@ Rs. 1500/worker	37,500	5,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 12 trucks @1000/truck	-	12,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 25 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	12,500
18	Carbon sequestration - LED bulb distribution	50,000	Nil
	Total	22,53,000	3,81,700

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल समुहा अधोसंरचना विकास	80,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, करधई, महुआ, गुग्गल, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2200
4	नॉन माइनिंग जोन	नीम, महुआ, करधई, गुग्गल, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. P-2/567/24 Shri SUDHIR JUNANKAR, Lessee, R/o- Village Pandurna, Tehsil- Pandurna, District- Chhindwara (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (Ston 5250 cubic meter per year & a OB - 552.5 cubic meter per year) (Khasra No. 1357) Village Chicholibad, Tehsil Pandhurna, District Chhindwara (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी- श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri SUDHIR JUNANKAR, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

With reference to the aforementioned subject, we wish to bring to your attention that, in accordance with clause 09 of the policy decision made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23-01-2024, our case is to be considered as a new case. This is because an additional mineral overburden is adding in the production which is having a production of maximum 552.5 cubic meter per year OB given in approved mining plan page no.23 which is not mentioned in the previous Environmental Clearance by DEIAA. As a result, we are submitting an application for this case to be considered as a new case.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SUDHIR JUNANKAR, Lessee, R/o- Village Pandurna, Tehsil-Pandurna, District- Chhindwara (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1357 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक को भू-स्वामी की सहमति प्राप्त) 1.00 hectare.
स्थल	Village Chicholibad, Tehsil Pandhurna, District Chhindwara (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 2101 दिनांक 03/11/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1459 दिनांक 07/11/16 के द्वारा पत्थर-5250 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-5250 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता औसतन पत्थर-5250 घनमीटर/वर्ष एवं OB - 552.5 cubic meter per year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 86 दिनांक 12/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 86 दिनांक 12/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 86 दिनांक 12/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिचोलीबड़ जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-36 दिनांक 15/08/13 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- खदान से पूर्व दिशा में लगभग 235 मीटर की दूरी पर पक्का रोड स्थित है । उत्खनिपट्टा क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक गड्ढा एवं पश्चिम दिशा में एक गड्ढा परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में स्थित गड्ढा ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय निर्माण कार्य हेतु खोदा गया है जिसके प्रमाण हेतु ग्राम पंचायत चिचोलीबड़ का पत्र दिनांक 02.11.2023 प्रस्तुत किया गया एवं पश्चिम दिशा में परिलक्षित हो रहे गड्ढा के सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह पूर्व में स्वीकृत खदान का थी जो कि वर्ष 2014 से बंद है जिसके प्रमाण हेतु प्रस्तावक द्वारा इस खदान का लीज अनुबंध प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार यह खदान दिनांक 30.11.2004 से दस वर्ष हेतु स्वीकृत कि गयी थी ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-98 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – **Ston 5250 cubic meter per year & a OB - 552.5 cubic meter per year** हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
2. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.61 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
	1 no's of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	60,000	
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 350 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	60,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 350 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	87,500	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1200 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~315m periphery of Mine lease boundary (350 nos.)	52,250	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2 nd year- 50 nos. at Govt. school premise is @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - - 1 st year- 700 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	125,000 7,500 35000	20,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	C. Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & grew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	D. Soil & manure bought from outside @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 82 Cubic meter soil needed for no. of 662 trees.	82,000	
6	Total Wire Fencing = (~412m long) - {40% completed= 165 m} (60% Remaining to be installed = 247m @500 Rs./m)	123,500	10,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	25,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1,000
Solid Waste Management			
	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	30,000	
	Distribution of the Led bulb(200nos) to the villagers for the carbon sequestration. (@Rs 100/bulb)	20,000	
	Cost for the mine closure plan at the end of mine life except the cost of wire fence given in point no. 6.	20,000	
	Total	795,750	1,61,500

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी	
ग्राम सेमरी स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	40,000/-
टोटल	40,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि	350
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम चिचोलीबाद में स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

25. Case No. P2/602/24 Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (Stone 1,80,000 TPA & M-Sand-1,20,000 TPA) (Khasra No. 762 Part) Village- Bishankhera, Tehsil - Chandla, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 14.05.24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Puniya Kondar online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	762 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village- Bishankhera, Tehsil - Chandla, District - Chhatarpur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 509 दिनांक 10/01/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-1,80,000 TPA & M-Sand-1,20,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 1,80,000 TPA & M-Sand-1,20,000 TPA है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 208 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.525 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 208 दिनांक 08/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 208 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैरगियापुखरी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 18/07/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 216 दिनांक 09/02/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. 10883/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mehraghat 9 Sand Mine in an area of 11.655 ha. (174825 cum per year) (Khasra No. 365), Village-Mehrghat, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) [447365]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	Authorized Person: Ram Lakhan Soni			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 11.655 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	7.49 Ha			
Mineable Quantity	1,25,775 cubm/year (Due to submerged area)			
स्थल	Village – Mehraghat 9 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मेहराघाट) दिनांक - 06.01.2024			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,74,825 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 1,74,825 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 793/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 64.31 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 793/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 793(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मेहराघाट जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है 	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक-66 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में जल भराव है अतः नदी के बहाव को सतत बनाये रखने के लिये 3.27 हे. क्षेत्र प्रतिबंधित किया है एवं खनन हेतु 7.49 हेक्टरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है जल भराव एवं गहराई 2.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 1,23,350 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 1,23,350 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 36.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.93 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग मार्इनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1820 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,82,000	10,000
3	Plantation (13986 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,48,950	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	50,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	36,83,950	4,93,000

3. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मेहराघाट के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2331 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2331
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2331
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	9324

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No. 10954/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mehraghat 10 Sand Mine in an area of 11.655 ha. (139860 cum per year) (Khasra No. 365), Village-Mehrghat, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 11.655 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	9.205 Ha			
Mineable Quantity	1,38,075 cubm/year (Due to submerged area)			
स्थल	Village – Mehraghat 10 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	(M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मेहराघाट) दिनांक - 06.01.2024			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,39,860 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 1,39,860 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 795/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 41.31 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 795/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

अनापत्ति	क्रमांक 795(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मेहराघाट जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 05.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है 	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-06 के सरल क्रमांक- 5 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में जल भराव है अतः नदी के बहाव को सतत बनाये रखने के लिये 2.45 हे. क्षेत्र प्रतिबंधित किया है एवं खनन हेतु 9.20 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है जल भराव एवं गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता **1,10,460 घनमीटर/वर्ष** की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

क्षमता रेत- 1,10,460 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 36.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.93 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1820 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,82,000	10,000
3	Plantation (13986 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,48,950	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	50,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	36,83,950	4,93,000

3. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2 Lakh तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मेहराघाट के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2331 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	2331
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाडी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2331
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	9324

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No. 10908/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Horiyapipar Sand Mine in an area of 19.746 ha. (177714 cum per year) (Khasra No. 226, Village-Horiyapipar, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

6. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 19.746 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Horiyapipar & Tehsil & District – Narmadapuram (M.P)			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (होरियापिपर) दिनांक - 07.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,77,714 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 1,77,714 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 54.746 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मेहराघाट जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 17.07.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-06 के सरल क्रमांक- 06 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत- 1,77,714 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.83 लाख प्रति वर्ष ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 620 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	62,000	10,000
3	Plantation (23695 plants will be planted & Distribution during the first year).	17,77,140	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. = 12500	Nil	25,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	Rs./twice per year @500 x 2 x 25		
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000 Rs.	25,000	50,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	25,44,140	4,83,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 90000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम होरियापिपर के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	सतपुरा टाइगर रेजर्वार एको समिति के विकास हेतु	50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3949 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3949
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3949
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	15,797

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. 10927/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Jasalpur-1 Sand Mine in an area of 10.00 ha. (180000 cum per year) (Khasra No. 691/1), Village-Jasalpur, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Jasalpur 1 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (जासलपुर) दिनांक - 06.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 96.161 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जासलपुर जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-06 के सरल क्रमांक- 02 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 11.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-180000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.43 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 710 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	71,000	10,000
3	Plantation (12000 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,00,000	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 45 labor @1000 Rs.	45,000	1,00,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	10,89,350	5,43,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम जासलपुर-1 के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	2000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2000
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	8000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No. 10914/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal Prior Environment Clearance for Raipur-24 Sand Mine in an area of 10.555 ha. (177324 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Raipur, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.555 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Raipur-24 & Tehsil & District – Narmadapuram (M.P)			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (रायपुर) दिनांक - 07.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,77,324 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 1,77,324 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 775/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 95.665 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 775/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 775(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 01.01.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11 के सरल क्रमांक- 17 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 11.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत- 1,77,324 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 5.88 लाख प्रति वर्ष ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग मार्इनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 590 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	59,000	10,000
3	Plantation (10766 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,49,950	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation (1,000 plantation) above 6 m girth	1,00,000	1,00,000
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15000	Nil	30,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	Rs./twice per year @500 x 2 x 30		
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	50,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	9,17,000	5,88,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 90000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम रायपुर के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	सतपुरा टाइगर रेजर्वार एको समिति के विकास हेतु	50,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2111 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	2111
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2111
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	8444

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No. 10910/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dethi-2 Sand Quarry Deposit in an area of 6.433 ha. (96000 cum per year) (Khasra No. 291, 559), Village-Dethi, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) .

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

7. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 6.433 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable area	4.773 Ha.			
Minable quantity	31,200 Cub meter / year (Part 1 of the site has been rejected due to bridge within 1 km) & (Part 2 of the project site has been			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	submerged and the new area is 4.773 Ha.)			
स्थल	Village - Dethi Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (डेठी 2) दिनांक - 02.01.2024			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 33,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 33,000 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 849/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.748 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 849/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 849/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिराबहे जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है 	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र दो भागों में है पश्चिमी दिशा में लीज क्षेत्र से 108 मी. की दूरी पर पक्का रोड ब्रिज है अतः 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ने पर पश्चिमी भाग में खनन कार्य प्रस्तावित नहीं है एवं कुछ भाग पूर्वी भाग में से गैर खनन क्षेत्र को छोड़ा गया है। अतः रेत खनन हेतु 2. 08 हे. उपलब्ध होता है।	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक- 14 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र दो भागों में है पश्चिमी दिशा में लीज क्षेत्र से 108 मी. की दूरी पर पक्का रोड ब्रिज है अतः 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ने पर पश्चिमी भाग में खनन कार्य प्रस्तावित नहीं है एवं पूर्वी भाग में से कुछ भाग गैर खनन क्षेत्र को छोड़ा

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

गया है। अतः रेत खनन हेतु 2.08 हे. उपलब्ध होता है। अतः उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 31,200 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-31,200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.38 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	45,000	5,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 365 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	36,500	5,000
3	Plantation (7720 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,79,050	22,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram Panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	30,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	30,000	10,000
9	Occupational health Survey 67 Labour @ 500 Rs. = 33,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 67	Nil	67,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 67 labor @1000 Rs.	67,000	10,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	20,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	9,87,550	2,38,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.5 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	गाँव में आगांवड़ी के फलीड डायरेक्टर के खाते में जमा कर दि जाएगी	50,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,00,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 740 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	740
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	740

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	2,960
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा </p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा </p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे </p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी </p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32.Case No. 10905/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dimawar-1 Sand Quarry Deposit in an area of 16.50 ha. (297000 cum per year) (Khasra No. 107), Village-Dimawar, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal,

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 16.50 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	16.16 Ha			
Mineable Quantity	2,10,000 Cum/year (Set back from Nallah)			
स्थल	Village - Dimawar Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (डिमावर) दिनांक - 04.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,97,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 2,97,000 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 867/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.500 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 867/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 867/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कजली जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 98 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में दक्षिणी दिशा से आकर एक नाला लीज क्षेत्र में मिल रहा है अतः 50 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.34 हे.) के रूप में छोड़ा गया है अतः उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई (3 मी.) को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 2,90,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2,90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 25.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 7.15 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 410m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	41,000	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3	Plantation (46500 plants will be planted & Distribution during the first year).	14,85,000	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 207 Labour @ 500 Rs. = 1,03,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 207	Nil	2,07,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 207 labor @1000 Rs.	2,07,000	1,00,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	25,13,000	7,15,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम दिमावर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,50,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,50,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3,300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,300
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3,300
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	13,200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No. 10912/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kothra Sand Quarry Deposit in an area of 10.00 ha. (168000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kotra, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP)

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Kothra & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (कोठरा) दिनांक - 03.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,68,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 1,68,000 घनमीटर/वर्ष है ।			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान नहीं हैं अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोठरा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है 	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक- 45 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र उपलब्ध 04 कोर्डिनेट्स, से प्रदर्शित की गई के.एम.एल. ईमेज निर्मित नहीं होती अतः समिति परियोजना प्रस्तावक निर्देश दिये कि इस खदान के अतिरिक्त कोर्डिनेट्स, संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

34. Case No. 10913/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Shahpur Sand Quarry Deposit in an area of 1.315 ha. (18147 cum per year) (Khasra No. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/5, 9/1, 1/10), Village-Shahpur, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 1.315 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Shahpur & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (शाहपुर) दिनांक - 05.01.2024
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 18,147 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 18,147 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 869/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.557 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 869/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 869/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमलाड़ा कलाँ जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 17.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- 0.39 किलो मीटर	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 103 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से पश्चिम दिशा में लगभग 348 मी. पर रोड ब्रिज है, जिसकी लम्बाई 185 मी. है जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गार्डलार्इन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

35.Case No. 10885/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nimsadiya 3 Sand Mine in an area of 30 ha. (432000 cum per year) (Khasra No. 1163), Village-Nimsariya, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP)

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 30.00 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Nimsadiya 3 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लॉस्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (निमसडिया 3) दिनांक - 08.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 4,32,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 4,32,000 घनमीटर/वर्ष है ।			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 789/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 50.691 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 789/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 789(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत निमसडिया जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11 के सरल क्रमांक- 63 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /	

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत- 4,32,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 36.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.41 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 710 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	71,000	10,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3	Plantation (36000 plants will be planted & Distribution during the first year).	27,00,000	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 55 Labour @ 500 Rs. = 27500 Rs./twice per year @500 x 2 x 55	Nil	55,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 55 labor @1000 Rs.	55,000	50,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	36,06,000	4,41,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 4 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम निमसाडिया-3 के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,00,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	2,00,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 व र्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	6,000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	6,000
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	24,000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पयविरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36.Case No. 10906/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gwadi-1 Sand Quarry Deposit in an area of 12.795 ha. (230310 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Guwadi, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP)

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

8. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 12.795 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village - Gwadi 1 Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (ग्वाडी 1) दिनांक - 02.01.2024			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,30,310 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 2,30,310 घनमीटर/वर्ष है ।			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 859/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.59 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 859/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 859/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ग्वाडी जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.04.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 100 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार **अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-230310 घनमीटर/वर्ष** हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.68 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 2180 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	2,18,000	10,000
3	Plantation (15354 plants will be planted & Distribution during the first year).	11,51,550	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 160 Labour @ 500 Rs. = 80,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 160	Nil	1,60,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 160 labor @1000 Rs.	1,60,000	1,00,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	23,09,550	6,68,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.3 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गवाड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,30,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2559 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2,559
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2,559

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	10,236
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा </p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा </p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे </p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी </p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37.Case No. 10907/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gwadi-2 Sand Quarry Deposit in an area of 12.795 ha. (230310 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Guari, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447467]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 14.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

9. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 12.795 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	4.55 Ha			
Mineable Quantity	81,900 Cubmeter /year (Submerged under water)			
स्थल	Village - Gwadi 2 Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P.).			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (ग्वाडी 2) दिनांक - 02.01.2024			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,30,310 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 2,30,310 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 861/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.59 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 861/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको			

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

	सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 861(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ग्वाडी जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.04.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 101 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में जल भराव है अतः नदी के बहाव को सतत बनाये रखने के लिये 8.42 हे. क्षेत्र प्रतिबंधित किया है एवं खनन हेतु 4.55 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है जल भराव एवं गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता **81,900 घनमीटर/वर्ष** की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-**81,900** घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.68 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई है तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे एवं शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी तथा सिया को अवगत कराया जावेगा ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 2180 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	2,18,000	10,000
3	Plantation (15354 plants will be planted & Distribution during the first year).	11,51,550	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 160 Labour @ 500 Rs. = 80,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 160	Nil	1,60,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 160 labor @1000 Rs.	1,60,000	1,00,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	23,09,550	6,68,000

3. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1 Lakhs तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गवाड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	50,000

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2559 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2,559
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2,559
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	10,236

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

38. Case No.11117/2023 Shri Brijesh Gupta, Owner, R/o Niwasi-Jhansi Road, Balla ka Dera, District-Gwalior (MP)-475110, Prior Environment Clearance for Gangapur Crusher Stone Quarry in an area of 1.563 ha. (3,00,000 cum per year) (Khasra No. 234/3), Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [DEIAA] (TOR)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें त्रुटिवश बी-2 श्रेणी की किसी अन्य प्रकरण की डाटाशीट उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रकरण की डाटाशीट के स्थान पर निम्नानुसार डाटाशीट पढ़ी जावे, शेष अन्य टॉर की अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गतपूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकनका है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक बृजेश गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतदस्तावेज
परियोजना प्रस्तावककानाम व पता	बृजेश गुप्ता निवासी –झांसी रोड, बल्लाकाढेरा डबरा जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	234/3 (शासकीय-नॉनफॉरेस्ट लैंड) क्षेत्रफल-1.563 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम –गंगापुरत तहसील –डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू.एल.-93/2010 ग्वालियर दिनांक 06/03/2021 के द्वारा स्वीकृत ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से प्रकरण
डिया ई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1228/DEIAA/न.क्र.-1/2016 ग्वालियर दिनांक – 22-02-2017 के द्वारा पत्थर –3,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-3,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदनकियागया है औरअनुमोदित खनन योजना अनुसार 3,00,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियरके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू.एल.आई.डी. –26178/2021/1671 ग्वालियर दिनांक 16/10/2023अनुसार500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.871 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांकक्यू.एल.आई.डी. –26178/2021/1671 ग्वालियर दिनांक 16/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर मेंवन क्षेत्र स्थितनहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांकक्यू.एल.आई.डी. –26178/2021/1671 ग्वालियर दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक/423/न.पं./राजस्व/विविध/11 बिलौआ दिनांक 13-04-2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदितनवीन जिला सर्वेक्षणरिपोर्ट के पेज नं.-39 के सरलक्रमांक-95 पर दर्ज है ।

39. Case No 9776/2023 Shri Rajasahab Bundela S/o Shri Jeevan Singh Bundela, R/o Ubari, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)-473995, Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area of 4.00 ha. (5,040 Cum per annum) (Khasra No. 406 Govt.) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसे स्टोन, बी-2 के साथ परियोजना प्रस्तावक Shri CHANDRA CHAUHAN एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उल्लेखित हो गया है जबकि फ्लैग स्टोन, बी-1 श्रेणी, परियोजना

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

प्रस्तावक श्री राजासाहब बुंदेला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) होना चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित स्टोन, बी-2 के साथ परियोजना प्रस्तावक Shri CHANDRA CHAUHAN एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर के स्थान पर फ्लैग स्टोन, बी-1 श्रेणी, परियोजना प्रस्तावक श्री राजासाहब बुंदेला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) के साथ अनुशंसित बिंदु क्रमांक-3 एवं 4 को विलोपित पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

40. Case No. 9987/2023 Smt. AYODHYA KUWARANI, Lessee , Flat No. 508 Orchid Tower Maharana Pratap Nagar, Gwalior (M.P) Pin no 474001. Prior Environment Clearance for SANTAU IRON ORE MINE, Area - 10.718 ha., (113299 Ton/Year) khasra No. - 337/1/min-1/3, 361/1, 378, at Village –Santau, Tehsil-Gird Distt.- Gwalior, (M.P.).

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसे अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-1,13,299 TPA उल्लेखित हो गई जबकि IRON Ore-1,13,299 TPA होनी चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-1,13,299 TPA के स्थान पर IRON Ore-1,13,299 TPA पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

Case No 9670/2023 Shri Subhash Chand Bansal, Partner, R/o MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773, Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines in an area of 1.777 ha. (50704 Tones per annum) (Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [415733] EIA

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसे कार्यवाही विवरण में अधिरोपित डिया शर्तों के पालन के बिंदु क्रमांक-6 “कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये” हो गया है जबकि समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे होना चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण में अधिरोपित डिया शर्तों के पालन के बिंदु क्रमांक-6 “कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये” के स्थान पर प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मई 2024

Case No 9347/2022 M/s M.K.S. Engineering Company Pvt. Ltd, Shri Aishwary Saxena Director, 01, Namak Kothi, North Civil Lines, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.30 ha. (Stone – 24997 Cum per annum & Murrum – 8384 Cum per annum) (Khasra No. 19/1, Village - Ghutiya, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) (EIA)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 711वीं बैठक दिनांक 09/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसे अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone – 64,922.2 TPA, Murrum – 1509 TPA उल्लेखित हो गया था जबकि Stone –24,997 Cum per annum & Murrum – 8384 Cum per annum होना चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 711वीं बैठक दिनांक 09/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone – 64,922.2 TPA, Murrum – 1509 TPA के स्थान पर Stone –24,997 Cum per annum & Murrum – 8384 Cum per annum पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. **केशर अथवा एम सेंड प्लांट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE’s. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine’s site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

- allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

- tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियों ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
---	---	--

750 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मई 2024

2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे